न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00505

नाथू लाल आत्मज गोरधन जाति मेघवाल निवासी खेडली महादीत तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. देवेन्द्र कुमार आत्मज भोजराज नाबालिग जरिये वलि माता केदारी बाई पत्नी भोज राज जाति तेली निवीस खेडली महादीत तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2018/00514

नाथू लाल आत्मज गोरधन जाति मेघवाल निवासी खेडली महादीत तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. भोज राज आत्मज मथरा लाल जाति तेली निवीस खेडी महादीत तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. देवेन्द्र कुमार आत्मज भोजराज नाबालिग जरिये वलि माता केदारी बाई पत्नी भोज राज जाति तेली निवीस खेडली महादीत तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मायाराम स्वामी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में।

निर्णय

दिनांकः 22.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी के सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत एक वाद संख्या 03/2015 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खेडली महादीत तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 30 की 0.53 हैक्टर भूमि स्थित है । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि वादी के खाते में दर्ज चली आ रही है । प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि में उनका किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादीगण की कब्जे की भूमि वादी के खाते की भूमि के पास स्थित है । इस कारण प्रतिवादीगण वादी के खाते व कब्जे की भूमि में कब्जा काश्त में व्यवधान पैदा कर वादी के खेत की मेड को तोडने व हांकने पर आमादा रहते हैं । प्रतिवादीगण वादी से रंजिश रखते हैं तथा वादी की उक्त भूमि की मेड को अवैधानिक रूप से तोड कर अपने कब्जे में लेने पर व वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा करने पर आमदा रहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण को वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी में मदाखलत व मजाहमत नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. इसी प्रकार वादी रेस्पोडेन्ट देवेन्द्र कुमार ने एक अन्य वाद संख्या 68/2014 अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 39 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खेडली महादीत तहसील दीगोद जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 32 की 0.32 हैक्टर कुल 02 किता की 0.50 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खातेदारी की भूमि है जिस पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी के खाते की सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 17/2 व खसरा नम्बर 17/1 की भूमि को राजस्व नक्शा ट्रेस में उत्तर दिशा की ओर भूमि की ज्यादा चौडाई व

दक्षिण दिशा की कम चौडाई के रूप में दिखा रखी है । वादी की भूमि के पास ही प्रतिवादी कम 01 की पुराने खसरा नम्बर 17/3 की 01 बीघा भूमि स्थित है जो पूर्व दिशा की ओर एक लम्बी पट्टी के रूप में स्थित है । दौराने सेटलमेंट पुराने खसरा नम्बर 17/3 की 01 बीघा भूमि के नये खसरा नम्बर 30 रकबा 0.53 हैक्टर दर्ज कर दिया जबकि एक बीघा के 0.16 हैक्टर ही कायम करना चाहिए था । सेटलमेंट कर्मचारियों ने प्रतिवादी कम 01 से मिली भगत कर 0.37 हैक्टर भूमि अधिक दर्ज कर दी और इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में भी जो एक लम्बी पट्टी के रूप में भूमि थी उसको उत्तर दिशा की ओर से अधिक चौडी व दक्षिण दिशा की ओर से संकडी दिखा दी गई । उसके पास ही वादी की पुराने खसरा नम्बर 17/1 व 17/2 की भूमि जिसके नये नम्बर 31 व 32 कायम किये गये हैं उनको उत्तर दिशा में अधिक चौडाई में थे को संकडा कर दिया । दोनों नक्शों को देखने से स्पष्ट लगता है कि वादी की भूमि नक्शे में कम कर दी गई व प्रतिवादी कम 01 की भूमि अधिक दर्ज कर दी गई और प्रतिवादी कम 01 का रकबा भी 0.16 हैक्टर से बढा कर 0.53 हैक्टर कर दिया जो पुराने रिकॉर्ड व नक्शा से विपरीत है । सेटलमेंट द्वारा बनाये गये गलत नक्शे व गलत जमाबन्दी में इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी कम 01 के मन में बदनियति आ गयी है और प्रतिवादी कम 01 वादी को उसके खसरा नम्बर 31 की भूमि में घुस कर जबरन काश्त करने व बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

6. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम खेडी महादीत की आराजी पुराने खसरा नम्बर 17/3 की 01 बीघा के नये खसरा नम्बर 30 की 0.53 हैक्टर के स्थान पर प्रतिवादी कम 01 को 0.16 हैक्टर भूमि का ही खातेदार घोषित किया जावे तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे । पुराने खसरा नम्बर 17/1, 17/2, एवं 17/3 की भूमि का नक्शा ट्रेस के अनुसार ही नया नक्शा ट्रेस में पुराने रकबा के अनुसार भूमि अंकित कर नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि हाल खसरा नम्बर 31 की 0.18 हैक्टर भूमि के वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे तथा वादी को काश्त करने से नहीं रोकं तथा प्रतिवादी कम 01 अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 30 की 0.53 हैक्टर भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

7. प्रतिवादी कम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

8. तत्पश्चात् प्रतिवादी कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत वाद में वादी ने पूर्व खातेदार से खसरा नम्बर 31 की 0.18 हैक्टर व खसरा नम्बर 32 की 0.32 हैक्टर कुल 0.50 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की है जिस पर वादी का कब्जा चला आ रहा है । इस कारण इसके अतिरिक्त भूमि के बाबत् वादी को किसी प्रकार का वाद पेश करने का अधिकार नहीं है । वादी ने पुराने खसरा नम्बर का हवाला देते हुए वाद पेश किया है जबकि पुराने खसरा नम्बर वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है । उनके बाबत् किसी प्रकार की आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि विकय पत्र में पुराने खसरा नम्बरान का अथवा अन्य किसी भूमि के बाबत् कोई हवाला अंकित नहीं है । वादी कयशुदा भूमि से अधिक भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । वादी को उसकी कयशुदा भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के

लिये प्रतिवादी के खिलाफ कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ है । वादकारण के अभाव में दावा वादी खारिज होने योग्य है । वादी द्वारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे ।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादों को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 21.05.2018 के द्वारा वाद संख्या 68/2014 स्वीकार कर डिक्री कर दिया तथा प्रतिवादी कम 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश पारित किया ।

10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट नाथूलाल ने न्यायालय हाजा में दोनों अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत कर दोनों अपीलों में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 03/2015 के बाबत् कोई निर्णय पारित नहीं करने में त्रुटि की है । वादी अपने खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है जिसका प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है । वादी अपीलान्ट के वाद को अन्य वाद संख्या 68/2014 के साथ प्रतिवादी की ओर से कोई कन्सोलिडेट का आवेदन पेश नहीं किया और न कभी भी कन्सोलिडेट किया गया और न ही किसी प्रकार की सुनवाई की गई इसके बावजूद प्रकरण संख्या 68/2014 का निर्णय पारित कर पत्रावली उसके साथ संलग्न कर दी और वादी अपीलान्ट के वाद के बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किये । रेस्पोडेन्ट वादी द्वारा जिस विक्रय पत्र दिनांक 30.04.2007 से भूमि क्रय की है उस पर वह काबिज है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । रेस्पोडेन्ट वादी ने पुराने खसरा नम्बर का हवाला देते हुए वाद पेश किया है जबकि पुराने खसरा नम्बर से रेस्पोडेन्ट वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके बाबत् किसी प्रकार की आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि विक्रय पत्र में पुराने खसरा नम्बरान का अथवा अन्य किसी भूमि के बाबत् कोई हवाला अंकित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2018 निरस्त फरमाये जावें ।

11. अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के साथ अलग–अलग प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में वादी रेस्पोडेन्ट का दावा संख्या 68/14 डिक्री करने का निर्णय पारित किया गया एवं वादी के बाबत् कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये । पत्रावली उसके साथ संलग्न कर दी गई अपीलान्ट से कहा गया कि निर्णय बाद में लिखा दिया जावेगा । अपीलान्ट कई बार तीन माह तक अधीनस्थ न्यायालय के चक्कर लगाता रहा तो पता चला कि अभी तक निर्णय नहीं लिखाया गया है । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.08.2018 को मिली कि निर्णय लिखा दिया गया । इस पर उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 23.08.2018 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

12. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

13. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था । पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में एक अन्य प्रकरण देवेन्द्र बनाम नाथू वाद संख्या 68/2014 का निस्तारण करने के साथ इसको भी निस्तारण कर दिया गया । वादी अपीलान्ट के दावे का उनवान तो अंकित किया गया परन्तु दावे के कोई भी तथ्य अंकित नहीं किये गये । दावा संख्या 03/15 के बाबत् कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । वादी के खाते की आराजी से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नहीं है । दावा संख्या 68/14 के साथ वादी का दावा समेकित नहीं किया गया था । अपीलान्ट के खाते में आराजी खसरा नम्बर 30 की 0.53 हैक्टर आराजी दर्ज है उसको कम करके 0.16 हैक्टर कर दिया गया है । 0.37 हैक्टर आराजी किसके खाते रहेगी यह स्पष्ट नहीं किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जिसके बाबत् भी कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2018 निरस्त फरमाये जावें ।

14. दोनों अपीलों में रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी के द्वारा सेटलमेंट से पूर्व की आराजी खसरा नम्बर 17/2 और 17/1 की आराजी के नक्शा ट्रेस में त्रुटि संशोधन के लिए दावा पेश किया गया था । अपीलान्ट के खाते की पुराने खसरा नम्बर 17/3 की आराजी 01 बीघा के नये नम्बर 30 रकबा 0.53 हैक्टर दर्ज किया गया है जबकि यह रकबा 0.16 हैक्टर ही होना चाहिए । इस प्रकार अपीलान्ट के खाते में 0.37 हैक्टर अधिक दर्ज की गई थी और वादी के खाते के नये खसरा नम्बर 31 और 32 कायम किये गये और नक्शे में रकबा कम दर्ज कर दिया गया । रेस्पोडेन्ट ने नक्शे में त्रुटि के लिए दावा पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में पक्षकारों की उपस्थिति में मजमेआम में सुनवाई कर विधिक निर्णय पारित किया गया है और अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को औचित्यहीन बताते हुए खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2018 बहाल रखे जावें ।

15. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम दोनों पत्रावलियों में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

16. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्यार 68/14 की आदेशिका दिनांक 24.04.2018 के अनुसार पत्रावली में दिनांक 18.05.2018 की तारीख दी गई और उसमें पुनश्चय अंकित करते हुए लोक अदालत की तिथि 21.05.2018 दी गई है । लोक अदालत में वादी की ओर से उनकी माता व प्रतिवादी के अभिभाषक की उपस्थिति दर्ज की गई है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । प्रकरण संख्या 03/15 से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को

लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी के अभिभाषक और प्रतिवादी संख्या 02 की उपस्थिति दर्ज करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना अंकित किया गया है । प्रकरण संख्या 68/14 में जो निर्णय पारित किया गया है उसमें दोनों प्रकरणों को समेकित किया जाना भी अंकित नहीं किया है और इस प्रकरण में गुणावगुण का विश्लेषण नहीं किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा भी नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय में दोनों प्रकरणों में जवाबदावा पेश किया जा चुका है ।

17. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 18/00514 एवं 18/00505 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2018 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दोनों दावों को समेकित कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

19. निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.9.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा